

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क्र.—583 / 2010

संस्थित दिनांक—30.07.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

विरुद्ध

1. सुरेश पिता मेहत्तरलाल चोरटे, उम्र 31 साल, जाति कलार,  
निवासी झांगुल थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. अनिल पिता मेहत्तरलाल चोरटे, उम्र 29 साल, जाति कलार,  
निवासी झांगुल थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 17 / 11 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 325 / 34, 506 (भाग—2) का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 26.06.2010 को दोपहर के 12:00 बजे स्थान झांगुल स्कूल चौक बैहर थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर फरियादी शैलेश कुमार को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी / आहत शैलेश को लोहे की राड एवं लाठी से मारकर घोर उपहति कारित की तथा जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी शैलेश ने दिनांक 26.06.2010 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट

लेखबद्ध कराई कि दिनांक 26.06.2010 को सुरेश उसके घर आया और उससे कमरे की चाबी मांगा तो उसने बोला कि कमरे की चाबी उसके पास नहीं है। सुरेश माँ-बहन गाली देते हुये बोला कि कमरे का ताला तोड़कर सामान निकलता हूँ, जब उसने गाली देने से मना किया तो सुरेश ने लकड़ी से उसके साथ मारपीट की। सुरेश का भाई अनिल आया और उसे लोहे की राड से सिर में दो राड मारा तथा जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 68/2010 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506(बी), 34 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 325, 506(बी), 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 325/34, 506 (भाग-2) का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादी रंजिश वश पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपीगण ने दिनांक 26.06.2010 को दोपहर के 12:00 बजे स्थान झांगुल स्कूल चौक बैहर थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर फरियादी शैलेश कुमार को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

(ब) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर सह आरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी शैलेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण

में फरियादी/आहत शैलेश को लोहे की राड एवं लाठी से मारकर घोर उपहति कारित की ?

(स) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी शैलेश को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब', एवं 'स', :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब', एवं 'स', का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी शैलेश (अ.सा.01) का कहना है कि घटना दिनांक 26.06.2010 को करीब 11-12 बजे आरोपी आया और आयुर्वेदिक औषधालय भवन की चाबी मांगी, उसने बोला कि चाबी उसके पास नहीं है। आरोपी उसे माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगा और बोला कि मैं ताला तोड़ दूंगा। उसने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे लकड़ी से पीठ पर मारा और आरोपी का भाई अनिल लोहे की राड लेकर आया और उसने लोहे की राड से उसे मारा आरोपीगण बोल रहे थे कि साले मादर चोद को जान से ही खत्म कर देंगे। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-01 है।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता इंजनसिंह मर्सकोले (अ.सा.10) का कहना है कि उसने दिनांक 27.06.2010 को अपराध क्रमांक 68/10 की केश डायरी की विवेचना के दौरान परसुराम चोरटे की निशादेही पर घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-08 तैयार किया था। आरोपी अनिल चोरटे से एक लोहे की राड मोटाई करीब एक सूत एवं लम्बाई करीब दो बिल्लस गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी सुरेश चोरटे से एक लकड़ी

करीब चार बिल्लस गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-06 एवं 07 तैयार किया था। प्रार्थी शैलेश कुमार साक्षी परसुराम, मुलामदास, अनिल, धीरज, कन्हैयालाल के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 26.06.2010 को शैलेश पिता आत्मा के चिकित्सीय परीक्षण में सिर के दांये एवं बांये तरफ टेम्पोरल बॉन में एक कटा फटा घाव, सिर के पीछे तरफ मूदी हुई चोट होना पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 है। आहत के सिर के दांये कंधे का एक्सरे किया था एक्सरे प्लेट क्रमांक 419 में सिर के हेयर लाईन में फ्रेक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है। एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-1 व ए-2 है।

(10) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी मुलामदास (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक साल पुरानी 12:00 बजे ग्राम झांगुल की है। घटना के समय वह उसके घर के पास था। सुरेश कुमार चाबी मांगने के लिये सचिव के यहां गया था। सचिव (प्रार्थी) ने चाबी नहीं दी तो सुरेश माँ बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगा। आरोपी सुरेश को समझाने सचिव गया तो आरोपी सुरेश ने लकड़ी से सचिव के पीट पर मार दिया, सुरेश का छोटा भाई अनिल आया और राड उठाकर सचिव के सिर पर मार दिया जिससे सचिव जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया, आरोपीगण भाग गये। इसी प्रकार फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी परसुराम (अ.सा.02) का कहना है कि घटना 26.06.2010 की झांगुल चौरहे की दिन के 12:00 बजे की है। बरसात हो रही थी वह चौराहे में था। सुरेश आया और सचिव शैलेश को कहा कि उसका हतोड़ा और छेनी दे दो वह पानी के लिये नाली निकालेगा। शैलेश ने बोला कि चाबी कहां है उसे मालूम नहीं है मिल जायेगी तो दे देगा। सुरेश और शैलेश एक दूसरे को गाली देने लगे तथा दोनों मारपीट करने लगे। सुरेश ने शैलेश के सिर पर सरिया से मार दिया उसके बाद अनिल लकड़ी लेकर आया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि सचिव ने चाबी नहीं दी तो आरोपी ने

गन्दी-गन्दी गालिया दी जो सुनने में बुरी लगी और आरोपी अनिल ने लोहे की राड से मारा था।

(11) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी अजबलाल (अ.सा.04) का कहना है कि घटना लगभग दो साल पुरानी ग्राम झांगुल की है। वह लोग सीताडोंगरी मिस्त्री के यहां काम करने गये थे वहां से झांगुल आये और उसके बाद वह शैलेश के यहां आया। घर से सुरेश आया और शैलेश से चाबी मांगा। शैलेश ने बोला कि चाबी उसके पास नहीं है। सुरेश ने बोला कि पुलिया बना दी है तो पानी उसके घर तरफ पानी भरता है तो वह पुलिया को तोड़ेगा। सुरेश ने बोला कि चाबी नहीं देगा तो ताला तोड़ देगा, सुरेश माँ बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगा। शैलेश, सुरेश के पास आया और बोला कि गालिया क्यों देते हो तो सुरेश ने एक लकड़ी से शैलेश को मार दी। अनिल ने शैलेश को सिर पर लोहे की राड से मार दिया, जिससे शैलेश के सिर पर चोट आई और शैलेश जमीन पर गिर गया। इसी प्रकार फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी अनिल (अ.सा.06) का कहना है कि घटना उसके कथन की करीब 03 वर्ष पुरानी दिन के 12:00 बजे स्कूल चौराहे ग्राम झांगुल की है। आरोपीगण और आहत के मध्य विवाद कमरे की चाबी हो लेकर हुआ था। आरोपी सुरेश ने शैलेश को लकड़ी से एवं आरोपी अनिल ने लोहे की राड से सिर पर मार दिया था तथा इसी प्रकार फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी कन्हैयालाल मरावी (अ.सा.07) का कहना है कि घटना उसके कथन के 03 वर्ष पुरानी दिन के 12:00 बजे स्कूल चौहारे ग्राम झांगुल की है। आरोपी सुरेश ने शैलेश से आयुर्वेदिक भवन की चाबी मांगने थी। शैलेश जो सचिव है ने कहा कि चाबी उसके पास नहीं है तो आरोपी सुरेश, शैलेश को गालिया देने लगा। आरोपी अनिल ने सरिये से शैलेश के सिर पर मार दिया।

(12) अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा.08) एवं शिखरचंद (अ.सा.09) का कहना है कि उनके सामने आरोपीगण से पुलिस ने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 एवं 05 पर उनके हस्ताक्षर हैं पुलिस ने उनके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-06 एवं 07 पर उनके हस्ताक्षर हैं।



(13) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने अवैध निर्माण कार्य करवाया था उससे आरोपीगण के घर में पानी घुस गया था और उनके बैल मर गया था। उस कार्यवाही से बचने के लिये फरियादी ने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(14) आरोपीगण ने अपने बचाव में साक्षी कृपाराम (ब.सा.01), सगनलाल (ब.सा.02) कथन करवाये, जिसमें बचाव साक्षियों का कहना है कि फरियादी ग्राम पंचायत का सचिव था और उसने नाली नहीं बनायी जिससे आरोपीगण के घर में पानी घुस गया। आरोपीगण के बीच झगड़ा हुआ था।

(15) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(16) अभियोजन साक्षी/फरियादी शैलेश (अ.सा.01) का कहना है कि घटना दिनांक 26.06.2010 को करीब 11-12 बजे आरोपी आया और आयुर्वेदिक औषधालय भवन की चाबी मांगी, उसने बोला कि चाबी उसके पास नहीं है। आरोपी उसे माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगा और बोला कि मैं ताला तोड़ दूंगा। उसने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे लकड़ी से पीठ पर मारा और आरोपी का भाई अनिल लोहे की राड लेकर आया और उसने लोहे की राड से उसे मारा आरोपीगण बोल रहे थे कि साले मादर चोद को जान से ही खत्म कर देंगे। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये और साक्षी के कथन अविश्वासनीय जाये।

(17) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता इंजनसिंह मर्सकोले (अ.सा.10) का भी स्पष्ट कहना है कि उसने दिनांक 27.06.2010 को अपराध क्रमांक 68/10 की केश डायरी की विवेचना के दौरान परसुराम चोरटे की निशादेही पर घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-08 तैयार किया था। आरोपी अनिल चोरटे से एक लोहे की राड मोटाई

करीब एक सूत एवं लम्बाई करीब दो बिल्लस गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी सुरेश चोरटे से एक लकड़ी करीब चार बिल्लस गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-06 एवं 07 तैयार किया था। प्रार्थी शैलेश कुमार साक्षी परसुराम, मुलामदास, अनिल, धीरज, कन्हैयालाल के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/विवेचनाकर्ता के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.05) का स्पष्ट कहना है कि उसने दिनांक 26.06.2010 को शैलेश पिता आत्मा के चिकित्सीय परीक्षण में सिर के दांये एवं बांये तरफ टेम्पोरल बॉन में एक कट्टा फट्टा घाव, सिर के पीछे तरफ मूंदी हुई चोट होना पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 है। आहत के सिर के दांये कंधे का एक्सरे किया था एक्सरे प्लेट क्रमांक 419 में सिर के हेयर लाईन में फ्रेक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है। एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-1 व ए-2 है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी मुलामदास (अ.सा.03) का स्पष्ट भी कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक साल पुरानी 12:00 बजे ग्राम झांगुल की है। घटना के समय वह उसके घर के पास था। सुरेश कुमार चाबी मांगने के लिये सचिव के यहां गया था। सचिव (प्रार्थी) ने चाबी नहीं दी तो सुरेश मॉ बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगा। आरोपी सुरेश को समझाने सचिव गया तो आरोपी सुरेश ने लकड़ी से सचिव के पीट पर मार दिया, सुरेश का छोटा भाई अनिल आया और राड उठाकर सचिव के सिर पर मार दिया जिससे सचिव जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया, आरोपीगण भाग गये। इसी प्रकार फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी परसराम (अ.सा.02) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना 26.06.2010 की झांगुल चौरहे की दिन के 12:00 बजे की है।

बरसात हो रही थी वह चौराहे में था। सुरेश आया और सचिव शैलेश को कहा कि उसका हतोड़ा और छेनी दे दो वह पानी के लिये नाली निकालेगा। शैलेश ने बोला कि चाबी कहां है उसे मालूम नहीं है मिल जायेगी तो दे देगा। सुरेश और शैलेश एक दूसरे को गाली देने लगे तथा दोनों मारपीट करने लगे। सुरेश ने शैलेश के सिर पर सरिया से मार दिया उसके बाद अनिल लकड़ी लेकर आया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि सचिव ने चाबी नहीं दी तो आरोपी ने गन्दी-गन्दी गालिया दी जो सुनने में बुरी लगी और आरोपी अनिल ने लोहे की राड से मारा था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी अजबलाल (अ.सा.04) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना लगभग दो साल पुरानी ग्राम झांगुल की है। वह लोग सीताडोंगरी मिस्ट्री के यहां काम करने गये थे वहां से झांगुल आये और उसके बाद वह शैलेश के यहां आया। घर से सुरेश आया और शैलेश से चाबी मांगा। शैलेश ने बोला कि चाबी उसके पास नहीं है। सुरेश ने बोला कि पुलिया बना दी है तो पानी उसके घर तरफ पानी भरता है तो वह पुलिया को तोड़ेगा। सुरेश ने बोला कि चाबी नहीं देगा तो ताला तोड़ देंगा, सुरेश माँ बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगा। शैलेश, सुरेश के पास आया और बोला कि गालिया क्यों देते हो तो सुरेश ने एक लकड़ी से शैलेश को मार दी। घटना स्वास्थ्य केन्द्र के सामने हुई थी। अनिल ने शैलेश को सिर पर लोहे की राड से मार दिया, जिससे शैलेश के सिर पर चोट आई और शैलेश जमीन पर गिर गया। इसी प्रकार फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी अनिल (अ.सा.06) का स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन की करीब 03 वर्ष पुरानी दिन के 12:00 बजे स्कूल चौराहे ग्राम झांगुल की है। आरोपीगण और आहत के मध्य विवाद कमरे की चाबी हो लेकर हुआ था। आरोपी सुरेश ने शैलेश को लकड़ी से एवं आरोपी अनिल ने लोहे की राड से सिर पर मार दिया था तथा इसी प्रकार फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी कन्हैयालाल मरावी (अ.सा.07) का स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन के 03 वर्ष



पुरानी दिन के 12:00 बजे स्कूल चौहारे ग्राम झांगुल की है। आरोपी सुरेश ने शैलेश से आयुर्वेदिक भवन की चाबी मांगने थी। शैलेश जो सचिव है ने कहा कि चाबी उसके पास नहीं है तो आरोपी सुरेश, शैलेश को मालिया देने लगा। आरोपी अनिल ने सरिये से शैलेश के सिर पर मार दिया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(21) अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा.08) एवं शिखरचंद (अ.सा.09) का कहना है कि उनके सामने आरोपीगण से पुलिस ने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 एवं 05 पर उनके हस्ताक्षर हैं पुलिस ने उनके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-06 एवं 07 पर उनके हस्ताक्षर हैं। इन साक्षियों के कथनों से भी जप्ती एवं गिरफ्तारी की आंशिक पुष्टि होती है।

(22) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी शैलेश (अ.सा.01) एवं साक्षी इंजनसिंह मर्सकोले (अ.सा.10), डॉक्टर आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा.05), मुलामदास (अ.सा.03), परसराम (अ.सा.02), अजबलाल (अ.सा.04), अनिल (अ.सा.06), कन्हैयालाल मरावी (अ.सा.07) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया है जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों को अविश्वासनीय कहा जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथन से आरोपीगण ने दिनांक 26.06.2010 को दोपहर के 12:00 बजे स्थान झांगुल स्कूल चौक बैहर थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी/आहत शैलेश को लोहे की राड एवं लाठी से मारकर घोर उपहति कारित की पुष्टि होती है किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि आरोपीगण ने फरियादी शैलेश कुमार को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ एवं जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित हुआ।

(23) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायदृष्टान्त माननीय उच्च

न्यायालय मध्यप्रदेश शासन विरुद्ध जलखान प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि यदि परिवादी ने स्वीकार किया है कि उसे पत्थर पर गिरने से चोट आई है और चिकित्सक ने भी पत्थर पर गिरने से अस्थिभंग होना स्वीकार किया है तो दोषसिद्ध नहीं माना जा सकता। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षियों ने स्पष्ट कथन किये हैं कि आरोपी सुरेश ने फरियादी शैलेश को लकड़ी से और आरोपी अनिल ने लोहे की राड से मारा था। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टान्त और प्रस्तुत प्रकरण की प्रकृति भिन्न है। आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव में तर्क है कि फरियादी ने अवैध निर्माण कर आरोपीगण के घर में पानी भर दिया था, जिससे आरोपीगण के घर में पानी घुस गया था और एक बैल की मृत्यु हो गई थी उससे बचने के लिये फरियादी ने पुलिस से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाकर आरोपीगण को फंसाया है। किन्तु आरोपीगण की ओर से ऐसी साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे फरियादी ने पुलिस से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाकर आरोपीगण को फंसाया है।

**(24)** उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि 26.06.2010 को दोपहर के 12:00 बजे स्थान झांगुल स्कूल चौक बैहर थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी/आहत शैलेश को लोहे की राड एवं लाठी से मारकर घोर उपहति कारित की। किन्तु अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने फरियादी शैलेश कुमार को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

**(25)** परिणाम स्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 (भाग-2) के अन्तर्गत दोषसिद्ध न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325/34 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

**(26)** प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपीगण को न्यायिक

अभिरक्षा में लिया गया।

(27) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(28) दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

(29) आरोपीगण के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपीगण मजदूर पेशा व्यक्ति हैं एवं नवयुवक हैं। अतः उन्हें कम से कम अर्धदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।

(30) आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(31) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(32) आरोपीगण की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है आरोपी मजदूर पेशा एवं नवयुवक व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु आरोपीगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को कम से कम अर्धदण्ड एवं सजा से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपीगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325/34 के आरोप में आरोपी सुरेश एवं अनिल को 01-01 (एक-एक) वर्ष का साधारण कारावास एवं 500-500/- (पांच-पांच सौ रुपये) के अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी सुरेश एवं अनिल को एक-एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(33) प्रकरण में जप्तशुदा एक लकड़ी लम्बाई करीब 4 बिल्लस एवं एक लोहे

की राड लम्बाई करीब 2 बिल्लस मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(34) निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक आरोपीगण को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)